कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
संख्या पी- 1107/36-टी-77, लखनऊ: दिनांक:29 मार्च, 2017.

सेवा में,

1- प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।

3- मुख्य वन संरक्षक,
वन्य जीव, पूर्वी क्षेत्र, गोण्डा।

4- वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
मेरठ तथा इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश।

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित -"इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट आफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा फ्लेक्सी फण्ड हेतु अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगार्थ शासन द्वारा स्वीकृत रू0 47.71 लाख का बजट आवंटन ।

संदर्भ: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ की पत्र संख्या-2423/7-4(फ्लेक्सी/ए0पी0ओ0), दिनांक 07.03.2017.

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- "इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट आफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स" योजना के अन्तर्गत भारत सरकार की पत्र संख्या-13-24/2016- डब्ल्यू0एल0-I, दिनांक 08.08.2016 तथा पत्र संख्या-13-20/2011-डब्ल्यू0एल0-1/20, दिनांक 29.09.2016 द्वारा 60 प्रतिशत केन्द्रांश तथा 40 प्रतिशत राज्यांश के रूप में निम्न प्रकार धनराशियों का अनुमोदन करके केन्द्रीय सहायता अवमुक्त/पुनर्वैध की गई है:-

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मद	भारत सरकार द्वारा अनुमोदित धनराशि			भारत सरकार द्वारा अवमुक्त/पुनर्वैध की गई केन्द्रीय सहायता		
		राज्यांश	केन्द्रांश	योग	चालू वर्ष मे अवमुक्त	गतवर्ष का पुनर्वैधन	योग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	अनुमोदित कार्यों हेतु	215.2754	322.8850	538.1604	228.7590	28.8650	257.6240
2	फ्लेक्सी फण्ड हेतु	23.8860	35.8220	59.7080	22.1980	6.4300	28.6280
	योग-:	239.1614	358.7070	597.8684	250.9570	35.2950	286.2520

2- इस प्रकार विषयगत योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु भारत सरकार द्वारा फ्लेक्सी फण्ड के लिए अनुमोदित धनराशि रू0 59.708 लाख की परियोजनाएं राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस0एल0एस0सी0) द्वारा अनुमोदित की गई है। भारत सरकार द्वारा योजनान्तर्गत फ्लेक्सी फण्ड हेतु अवमुक्त/पुनर्वैध की गई केन्द्रीय सहायता रू0 28.628 लाख में राज्यांश की धनराशि रू0 19.082 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 47.71 लाख की स्वीकृति का प्रस्ताव राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर उपयोग किये जाने हेतु इस कार्यालय की पत्र संख्या पी-982/36-टी-77, दिनांक 08.03.2017 द्वारा शासन को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में शासकीय पत्र संख्या-429/चौदह-4-2017-101/2016, दिनांक 28.03.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा योजनान्तर्गत फ्लेक्सी फण्ड हेतु रू0 47.71 लाख की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

3- अत: शासन द्वारा विषयगत योजना के अन्तर्गत फ्लेक्सी फण्ड हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 47.71 लाख का आवंटन आपके अधीनस्थ वन प्रभागों के उपयोग हेतु संलग्नक-1 में किया जा रहा है

4- संलग्नक-1 में आवंटित धनराशि का उपयोग राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति द्वारा अनुमोदित कार्यमदों पर संलग्नक-2 में निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति पर ही नियमानुसार किया जाय तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र भारत सरकार, उत्तर प्रदेश शासन तथा इस कार्यालय को प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

-2

5- संलग्नक-1 में आवंटित धनराशि में राज्यांश एवं केन्द्रांश का विवरण निम्नवत है:-

(रू0 लाख में)

क्र0 सं0	पक्षी/वन्य जीव विहार का नाम	राज्यांश	केन्द्रांश	योग
1	2	3	4	5
1	चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार	2.20	3.30	5.50
2	कैमूर वन्य जीव विहार	2.51	3.76	6.27
3	हस्तिनापुर वन्य जीव विहार	0.89	1.33	2.22
4	पार्वती अरगा पक्षी विहार	0.71	1.06	1.77
5	सोहेलवा वन्य जीव विहार	1.31	1.97	3.28
6	लाख बहोसी पक्षी विहार	3.06	4.61	7.67
7	सूर सरोवर पक्षी विहार	0.63	0.94	1.57
8	समान पक्षी विहार	0.71	1.06	1.77
9	पटना पक्षी विहार	0.49	0.74	1.23
10	सोहागीबरवा वन्य जीव विहार	1.33	2.00	3.33
11	बखीरा पक्षी विहार	0.69	1.03	1.72
12	ओखला पक्षी विहार	0.71	1.06	1.77
13	डा0 भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार	0.09	0.14	0.23
14	राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार	3.752	5.628	9.38
	योग-:	19.082	28.628	47.71

6- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय का अधिकार नही देता, अत: जिस व्यय के संबंध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यत: प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07.01.2005 तथा शासनादेश संख्या-सीएए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26.10.2009 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश से कराये जाने वाले भवन आदि के निर्माण कार्यों के विस्तृत आगणन प्राप्त कर उनका सक्षम स्तर द्वारा अनुमोदन प्राप्त कर ही धनराशि व्यय किया जायेगा।

8- आवंटित की जा रही धनराशि को व्यय करते समय भारत सरकार के उक्त पत्र द्वारा तथा योजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कार्यमदों में कोई विचलन नही किया जायेगा। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा लगाई गयी समस्त शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9- कृपया समय-समय पर स्थलीय निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करें कि स्थलीय कार्य प्रबंध योजना एवं अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना के अनुसार हो रहे हैं तथा इसकी रिपोर्ट शासन तथा इस कार्यालय को समय-समय पर उपलब्ध करायी जाय।

10- व्यय को निर्धारित मानकों के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय सारिणी निश्चित कर ली जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

11- उक्त धनराशि से कराये गये कार्यों का स्थलवार विवरण, व्यय व नपत इस कार्यालय को उपलब्ध करायें। व्यय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति सूचना आयोजनागत पक्ष की अन्य सूचनाओं के साथ निर्धारित तिथि तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। व्यय की वित्तीय प्रगति प्रपत्र बी.एम-13 में भी इस कार्यालय को उपलब्ध करायें।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय,

(ए0के0 द्विवेदी)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-1107 (1)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-429/चौदह-4-2017-101/2016, दिनांक 28.03.2017 की छायाप्रति तथा संलग्नक-1 व 2 की प्रति सहित इस आशय से प्रेषित कि संलग्नक-1 में आवंटित धनराशि की साख-सीमा सम्बन्धित वनाधिकारियों के पक्ष में जारी करने की कृपा करें।

संलग्नक:यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी- (2)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को शासकीय पत्र संख्या-429/चौदह-4-2017-101/2016, दिनांक 28.03.2017 की छायाप्रति तथा संलग्नक-1 व 2 सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), चतुर्थ तल, हाल नं0-2, आडिट भवन, टी0सी0-35, बी-1, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई.टी., उत्तर प्रदेश, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4- वन संरक्षक, लुप्तप्राय परियोजना, उ0प्र0, लखनऊ।
5- प्रभागीय वनाधिकारी, काशी वन्य जीव प्रभाग, रामनगर, वाराणसी।
6- प्रभागीय वनाधिकारी, कैमूर वन्य जीव प्रभाग, मिर्जापुर।
7- प्रभागीय वनाधिकारी, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग, बलरामपुर।
8- प्रभागीय वनाधिकारी, सोहागीबरवा वन्य जीव प्रभाग, महराजगंज।
9- उप वन संरक्षक, राष्ट्रीय चम्बल सेंचुरी प्रोजेक्ट, आगरा।
10- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, मेरठ।
11- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी वन प्रभाग, प्रतापगढ।
12- अभिसूचना सेल, कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संलग्नक:यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संख्या पी-1107 (3)/36-टी-77, दिनांकित।

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, वन एवं वन्य जीव विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासकीय पत्र संख्या-429/चौदह-4-2017-101/2016, दिनांक 28.03.2017 के क्रम में संलग्नक-1 व 2 की प्रति सहित सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक:यथोपरि।

(ए0के0 द्विवेदी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

संलग्नक–1

वित्तीय वर्ष 2016–17 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित–"इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स" योजना के अन्तर्गत फ्लेक्सी फण्ड हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 47.71 लाख का बजट आवंटन।

(रु0 हजार में)

लेखाशीर्षक/मानकमद	प्र0मु0व0सं0, वन्य जीव	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पश्चिमी क्षेत्र कानपुर							व0सं0, मेरठ	
	वन संरक्षक, लुप्तप्राय	प्र0व0, काशी वन्य जीव प्रभाग	प्र0व0, कैमूर वन्य जीव प्रभाग	उ0व0स0 राष्ट्रीय चम्बल सेन्चुरी प्रोजेक्ट, आगरा					गौतमबुद्धनगर प्रभाग	प्र0नि0, मेरठ
	लाख बहोसी पक्षी विहार	चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार	कैमूर वन्य जीव विहार	पटना पक्षी विहार	सूरसरोवर पक्षी विहार	समान पक्षी विहार	राष्ट्रीय चम्बल, वन्य जीव विहार	योग चम्बल प्रभाग (5 से 8)	ओखला पक्षी विहार	हस्तिनापुर वन्य जीव विहार
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
अनुदान संख्या–60										
पूंजी लेखा–										
4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय– आयोजनागत–										
02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव–										
110–वन्य जीव–										
01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें–										
0106–इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स–										
25–लघु निर्माण कार्य	767	550	627	0	57	0	700	757	0	0
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	0	0	0	123	100	177	238	638	177	222
योगः–	**767**	**550**	**627**	**123**	**157**	**177**	**938**	**1395**	**177**	**222**

Ad –2

(रु0 हजार में)

लेखाशीर्षक/मानकमद	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पूर्वी क्षेत्र गोण्डा						व0सं0 इलाहाबाद	कुल योग
	प्र0व0, सोहागीबरवा वन्य जीव प्रभाग			प्र0व0, सोहेलवा वन्य जीव प्रभाग			प्र0नि0 प्रतापगढ़	
	सोहागीबरवा वन्य जीव विहार	बखीरा पक्षी विहार	योग सोहागीबरवा (12+13)	सोहेलवा वन्य जीव विहार	पार्वती अरगा पक्षी विहार	योग सोहेलवा (15+16)	डा0 भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार	
1	12	13	14	15	16	17	18	19
अनुदान संख्या–60								
पूंजी लेखा–								
4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय– आयोजनागत–								
02–पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव–								
110–वन्य जीव–								
01–केन्द्र प्रायोजित योजनायें–								
0106–इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स–								
25–लघु निर्माण कार्य	293	0	293	301	177	478	0	**3472**
26–मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	40	172	212	27	0	27	23	**1299**
योगः–	**333**	**172**	**505**	**328**	**177**	**505**	**23**	**4771**

(ए0के0 द्विवेदी)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
योजना एवं कृषि वानिकी
उ0प्र0, लखनऊ।

<u>संलग्नक-2</u>

वित्तीय वर्ष 2016-17 में केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित- ''इन्टीग्रेटेड डेवलेपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स'' योजना के अन्तर्गत फ्लेक्सी फण्ड हेतु शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि रू0 47.71 लाख के सापेक्ष निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य।

(वित्तीय-रू0 लाख में)

क्र0 सं0	कार्यमद	भौतिक	वित्तीय	बजट का मानकमद
1	2	3	4	5
	<u>क- चन्द्रप्रभा वन्य जीव विहार-</u>			
1	चन्द्रप्रभा बांध से आने वाले पानी को एकत्रित करने हेतु विभागीय रूप से पुराने क्षतिग्रस्त रपटा का पुनर्निमाण कार्य	लमसम	5.00	25- लघु निर्माण कार्य
2	75 एम0एम0 व्यास की पाइप का क्रय (मी0)	115	0.50	25- लघु निर्माण कार्य
	योग:-क-वित्तीय		**5.50**	
	<u>ख- कैमूर वन्य जीव विहार-</u>			
1	मानिकपुर वन विश्राम गृह में अन्दर एवं बाहर रोशनी और पंखा की व्यवस्था हेतु 2 कि0वा0 सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना (सं0)	1	3.015	25- लघु निर्माण कार्य
2	मानिकपुर वन विश्राम गृह के कमरों के फर्श एवं बाथरूप में टाइल्स लगवाई, पानी व्यवस्था एवं साज-सज्जा	लमसम	0.24	25- लघु निर्माण कार्य
3	विजय सागर पक्षी विहार, महोबा रेस्ट हाउस के अन्दर एवं बाहर रोशनी और पंखा की व्यवस्था हेतु 2 कि0वा0 सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना (सं0)	1	3.015	25- लघु निर्माण कार्य
	योग-ख-वित्तीय		**6.27**	
	<u>ग- हस्तिनापुर वन्य जीव विहार-</u>			
1	सोलर लाइट की स्थापना (सं0)	2	0.44	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
2	वन्य जीवों के रेस्क्यू कार्य हेतु जैकिट का क्रय (सं0)	2	0.07	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
3	जी0पी0एस0 मशीन का क्रय (सं0)	2	0.42	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
4	वन्य जीवों के रेस्क्यू कार्य हेतु रस्सी का क्रय (सं0)	1	0.05	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
5	सर्च लाइट का क्रय (सं0)	4	0.60	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
6	कैमरा ट्रैप (सं0)	2	0.40	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
7	जानवरों को पकडने हेतु जाल क्रय (सं0)	2	0.20	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
8	स्टाफ हेतु पोर्टेबुल वाटर बोटल एण्ड फिल्टर क्रय (सं0)	2	0.04	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
	योग:-ग-वित्तीय		**2.22**	
	<u>घ- पार्वती अरगा पक्षी विहार-</u>			
1	कान्स्ट्रक्शन आफ गेट्स एण्ड ओबरबोर्ड (सं0)	1	1.00	25- लघु निर्माण कार्य
2	फैंसिंग आन द बाउन्ड्री साइट विद ऐंगिल आयरन एण्ड बारबेड वायर	लमसम	0.77	25- लघु निर्माण कार्य
	योग:-घ-वित्तीय		**1.77**	
	<u>ड- सोहेलवा वन्य जीव विहार-</u>			
1	सिल्ट डिस्पोजल फ्राम रजिया ताल (घनमी0)	713	0.733	25- लघु निर्माण कार्य
2	रिमूवल आफ अन्वान्टेड वीड्स फ्राम रजिया ताल (हे0)	6	0.447	25- लघु निर्माण कार्य
3	वल्चर कन्जर्वेशन-चेन लिंक फैंसिंग आफ साइट एण्ड कान्स्ट्रक्शन आफ गेट	लमसम	1.25	25- लघु निर्माण कार्य
4	ड्रिकिंग वाटर फैसिलिटी एट नन्दमहरा एण्ड पिपरा गेस्ट हाउस (सबमर्सिबुल बोरिंग एण्ड लेइंग आफ पाइप आदि)	लमसम	0.58	25- लघु निर्माण कार्य
5	परचेज आफ बाइनाकुलर्स (सं0)	2	0.10	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
6	परचेज आफ जी0पी0एस0 (सं0)	2	0.17	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
	योग:-ड-वित्तीय		**3.28**	
	<u>च- लाख बहोसी पक्षी विहार-</u>			
1	लाख बहोसी पक्षी विहार में बेहतर प्रवास संरक्षण एवं प्राकृतिक क्षमता विकास हेतु स्टैण्ड आफ बैरियर के लिए नया चेन लिंक फैंसिंग का कार्य (मी0)	321.70	7.67	25- लघु निर्माण कार्य
	योग:च-वित्तीय		**7.67**	

	छ- सूर सरोवर पक्षी विहार-			
1	नाइट विजन इक्विपमेंट का क्रय (सं0)	1	1.00	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
2	वन मार्ग की मरम्मत (किमी0)	1.8	0.57	25- लघु निर्माण कार्य
	योग:-छ-वित्तीय		1.57	
	ज- समान पक्षी विहार-			
1	जी0पी0एस0 का क्रय (सं0)	4	0.84	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
2	बाइनाकुलर्स का क्रय (सं0)	3	0.33	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
3	कैमरा ट्रैप का क्रय (सं0)	3	0.60	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
	योग-ज:-वित्तीय		1.77	
	झ- पटना पक्षी विहार-			
1	जी0पी0एस0 का क्रय (सं0)	3	0.63	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
2	बाइनाकुलर्स का क्रय (सं0)	2	0.20	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
3	कैमरा ट्रैप का क्रय (सं0)	2	0.40	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
	योग-झ:-वित्तीय		1.23	
	ट- राष्ट्रीय चम्बल वन्य जीव विहार-			
1	फाइबर बोट का क्रय (सं0)	2	7.00	25- लघु निर्माण कार्य
2	सोलर लाइट का क्रय (सं0)	5	2.38	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
	योग:ट-वित्तीय		9.38	
	ठ- सोहागीबरवा वन्य जीव विहार-			
1	वन विश्राम गृहों पर 01-किलोवाट पावर प्लान्ट स्थापना कार्य-			
अ	देईभार वन विश्राम गृह उत्तरी चौक रेंज (सं0)	1	1.3905	25- लघु निर्माण कार्य
ब	कुसुमहवा वन विश्राम गृह दक्षिणी चौक रेंज (सं0)	1	1.3905	25- लघु निर्माण कार्य
स	इन्स्टालेशन व्यय (सं0)	2	0.149	25- लघु निर्माण कार्य
2	पकडी, टेड़ीघाट, निचलौल वन विश्राम गृह हेतु इन्वर्टर का क्रय (सं0)	1	0.40	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
	योग:-ठ-वित्तीय		3.33	
	ड-बखीरा पक्षी विहार-			
1	जी0पी0एस0 का क्रय (सं0)	8	1.68	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
2	बड़ी टार्च का क्रय (सं0)	8	0.04	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
	योग:-ड-वित्तीय		1.72	
	ढ-ओखला पक्षी विहार-			
1	परचेज आफ डिजीटल कैमरा (सं0)	1	0.35	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
2	सी0सी0टी0वी0 कैमरा (विद सोलर पैनल एण्ड बैट्री) (सं0)	2	1.07	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
3	स्वाइप मशीन (सं0)	2	0.35	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
	योग-ढ-वित्तीय		1.77	
	न-डा0 भीमराव अम्बेडकर पक्षी विहार-			
1	बड़ी दूरबीन का क्रय(12.5 प्रतिशत कर, स्टैंड, क्लीनर, कवर) (सं0)	3	0.18	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
2	अत्यन्त छोटी दूरबीन का क्रय(12.5 प्रतिशत कर, स्टैंड, क्लीनर, कवर) (सं0)	2	0.05	26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र
	योग-न-वित्तीय		0.23	
	कुल योग-वित्तीय		47.71	

(ए0के0 द्विवेदी),
प्रधान मुख्य वन संरक्षक/
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
योजना एवं कृषि वानिकी,
उ0प्र0, लखनऊ।

D:\MAHENDRA\A.K.PANDEY\BIRD FESTIVAL 2016-17.DOCX

संख्या-429/चौदह-4-2017-101/2016

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

2509/36-T-77
28/3/2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 लखनऊ, दिनांक, 28 मार्च, 2017

विषय-वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "इण्टीग्रेटेड आफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स'' योजना के अन्तर्गत भारत सरकार फलेक्सी फण्ड हेतु अवमुक्त केन्द्रीय सहायता के उपयोगार्थ रू0 47.71 लाख की स्वीकृति जारी किये जाने के संबंध मे।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक/प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उ0प्र0 के पत्र संख्या-पी-982/36-टी-77 दिनांक 08 मार्च, 2017 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित निर्देशों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60-आयोजनागत- केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "इण्टीग्रेटेड आफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स'' योजना के अन्तर्गत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से फलेक्सी फण्ड हेतु राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति (एस.एल.एस;सी.) की संस्तुति के अनुसार रू0 47.71 लाख की स्वीकृति (रू0 सैतालीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र) निम्न शर्तो के अधीन निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

पाण्डे
3.03.2017

लेखाशीर्षक	धनराशि(रू0 में)
अनुदान संख्या-60	
पूँजी लेखा	
4406-वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय आयोजनागत-	
02-पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव-	
110-वन्य जीव-	
01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-	
0106-इण्टीग्रेटेड डेवलपमेंट आफ वाइल्ड लाइफ हैबीटेट्स-	
25-लघु निर्माण कार्य	3472000
26-मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र-	1299000
योग-	4771000

(रू0 सैतालीस लाख इक्हत्तर हजार मात्र)

1- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वंय में व्यय का अधिकार नहीं देता, अतः जिस व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका के अन्तर्गत नियमावलियों में अथवा शासन के वर्तमान आदेशों के अनुसार शासन के अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति/सहमति लिया जाना अपेक्षित हो, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाये। वस्तुओं का क्रय

JS/hp-2/note

स्टोर परचेज एवं वित्तीय नियमों के अधीन किया जाय। योजनान्तर्गत वाहनों के क्रय के पूर्व शासन का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा। व्यय करते समय मितव्ययियता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0-सी0ए0-1132/दस-2004-मित-1/2004, दिनांक 07-01-2005 तथा शासनादेश सं0-सी0ए0-1191/दस-2009-मित-1/2007, दिनांक 26-10-2009 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किय जाय।

2- इस धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत तथा चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपयोग नयी मदों के क्रियान्यवन के लिए नहीं किया जाय।

3- किसी योजना में व्यय अनुमोदित परिव्यय से अधिक न हो। इस सम्बन्ध में शासन के तत्सम्बन्धी निर्देशों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके अतिरिक्त जिन योजनाओं में व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त नहीं हुआ है, उन पर व्यय करने से पूर्व अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय तथा जिन योजनाओं पर व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त है उन पर समिति के अनुमोदित लागत एवं समय सीमा के अनुसार ही व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

4- व्यय को निर्धारित मानको के अनुसार सुनिश्चित किये जाने हेतु एक समय-सारणी निश्चित कर दी जाय तथा प्रत्येक माह की समाप्ति पर व्यय की प्रगति का प्रभावी अनुश्रवण किया जाय।

5- अवमुक्त धनराशि को समय से योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु साख-सीमा अवमुक्त किये जाने की समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ताकि धनराशि समय पर उपलब्ध रहे।

6- स्वीकृत धनराशि का व्यय प्रधान मुख्य वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी के उक्त पत्र संख्या-पी-982/36-टी-77 दिनांक 08 मार्च, 2017 में उल्लिखित कार्यमदों के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

7- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में प्रशासनिक विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किया जा रहा है।

भवदीय

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

संख्या-429/चौदह-4-2017-101/2016तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (द्वितीय) उ0प्र0 केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।
3- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी, उ0प्र0, लखनऊ।
5- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, उ0प्र0, लखनऊ।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7- वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग/नियोजन अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

JS/hp-2/note